अनुदान संख्या 84 – विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
GRANT No. 84 - DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*2,00*	*..*	*-2,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	5067,36,00			
			5067,39,00	4982,88,99	-84,50,01
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				26,40,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	67,50,00			
			67,51,00	64,95,10	-2,55,90
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹ 2.00 लाख* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *₹2.00 lakhs* remained wholly unutilised under one head.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3425"	Major Head "3425"				
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research				
मू.	O.	498326.00			
पू.	S.	3.00	495689.00	490177.26	-5511.74
पु.	R.	-2640.00			

(I) ₹2000.00 लाख का प्रावधान एक मामले के अंतर्गत "अन्य– अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटक योजना – वैज्ञानिक स्वायत्त संस्थानों/पेशेवर निकायों को सहायता" – सामाजिक न्याय मंत्रालय से अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों के वेतन वितरण न होने के पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹2000.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under "Others - Special Component Plan for Scheduled Castes - Assistance to Scientific Autonomous Institutions/Professional Bodies" - due to non-disbursal of salary of employee of SC category at the instance of Ministry of Social Justice.

(II) "भारतीय सर्वेक्षण – मानचित्रों, चार्ट रिपोर्टों आदि का प्रकाशन – मानचित्र प्रकाशन कार्यालय" – ₹657.79 लाख की बचत (₹4407.45 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिकारियों के स्थानांतरण की वजह से वेतन संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने, संशोधित सुनिश्चित करियर उन्नयन के मामलों का निपटान न होने एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधित कम दावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(II) Under "Survey of India – Publication of Maps, Charts Reports etc. - Map Publication Offices"- saving of ₹657.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4407.45 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries owing to transfer of officials, non-settlement of modified assured career progression cases and receipt of less claims towards medical reimbursement.

(III) "अन्य" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(III) Under "Others" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता" –

(A) "Assistance to Other Scientific Bodies" -

(क) "विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण" – ₹11798.40 लाख की बचत (₹108958.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आर एडं डी समर्थन अवसंरचना निर्माण की वजह से कम परियोजनाओं की प्राप्ति होने, अंतर्राष्ट्रीय मानव सीमांत विज्ञान कार्यक्रम संगठन,

(a) "Science and Technology Institutional and Human Capacity Building"- saving of ₹11798.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹108958.00 lakhs) was due to receipt of less projects towards creation of Infrastructure of R & D Support, non-

स्ट्रॉसबर्ग, फ्रांस को अंशदान न जारी किए जाने, और राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान द्वारा मानक कार्यक्रम के अंतर्गत कम विद्यार्थियों को चुने जाने के कारण हुई।

release of contribution to International Human Frontier Science Programme Organisation, Strasbourg, France and less students shortlisted under MANAK Programme by National Innovation Foundation.

(ख) "अनुसंधान एवं विकास" – ₹10453.73 लाख की बचत (₹46600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सुपर कंप्यूटर को डेवलप किए जाने से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने एवं नैनो मिशन के अंतर्गत कम परियोजनाओं की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(b) "Research and Development" - saving of ₹10453.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹46600.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards developing of Super Computers and receipt of less projects under Nano Mission.

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – वैज्ञानिक स्वायत्त संस्थानों / पेशेवर निकायों को सहायता" – ₹1000.00 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं लेखा परीक्षा के अनुसूचित जाति के कार्मिकों को वेतन का वितरण न किए जाने के कारण हुई।

(B) "Tribal Area Sub-Plan - Assistance to Scientific Autonomous Institutions/Professional Bodies"- saving of ₹1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to non-disbursal of salary of ST personnel at the instance of Ministry of Tribal Affairs and Audit.

(गा) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – अनुसंधान एवं विकास" – ₹3273.62 लाख की बचत (₹14300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने, निधियन के लिए कम परियोजनाओं को उपयुक्त पाए जाने, भारत–इजराइल उद्योग आर एंड डी और प्रौद्योगिकीय नवाचार निधि (14एफ) से संबंधित जारी राशि के स्थगित होने के कारण हुई।

(C) "International Cooperation - Research and Development" - saving of ₹3273.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14300.00 lakhs) was due to non-finalisation of some projects, less projects found fit for funding and deferment of release towards the India-Israel Industrial R & D and Technological Innovation Fund (14F).

(IV) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1711.76 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और ₹500.00 लाख से कम तथा स्वीकृत प्रावधान का 22 से 44 प्रतिशत तक थीं।

(IV) Under four heads savings of ₹1711.76 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 22 percent to 44 percent of the sanctioned provision.

3. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹22825.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि "अन्य" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत जुलाई, 2018, दिसंबर, 2018 और फरवरी, 2019 में ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

3. The above savings were partly (₹22825.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs in July, 2018, December, 2018 and February, 2019 under "Others" - under the following heads:-

(I) "अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता" –

(I) "Assistance to Other Scientific Bodies" –

(का) "वैज्ञानिक स्वायत्त संस्थानों/पेशेवर निकायों को सहायता" – ₹7000.00 लाख।

(खा) "विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड" – ₹9000.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹8998.00 लाख था।

(गा) "नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और तैनाती" – ₹5825.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹5785.06 लाख था।

(II) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड" – ₹1000.00 लाख।

(A) "Assistance to Scientific Autonomous Institutions/Professional Bodies" – ₹7000.00 lakhs.

(B) "Science and Engineering Research Board" - ₹9000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹8998.00 lakhs.

(C) "Innovation, Technology Development and Deployment" - ₹5825.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹5785.06 lakhs.

(II) "Tribal Area Sub-Plan - Science and Engineering Research Board" - ₹1000.00 lakhs.